13/05/26 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई।
प्रकरण के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रार्थना-पत्र आम जनता की तरफ से पेशकर निवेदन किया गया कि ग्राम भीकमपुर पटवार हल्का हरनगर, तहसील करौली की आराजी खसरा नम्बर 1383/1 से 1383/7 की भूमि कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है, जिसे बिना संपरिवर्तन कराये आवासीय उपयोग में ली जाकर प्लॉट काटे जा रहे है, इस कारण उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। प्रार्थना-पत्र के अवलोकन उपरांत प्रार्थना-पत्र को अन्तर्गत धारा-177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	गई थी। मौका के उपरांत उपखण्ड कार्या- लय तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से पत्रावली में जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा ख.न. 1383/1 व 1383/9 में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है। प्रार्थीगण रामजीलाल व मोहनलाल ने निवेदन किया कि 1383/2 की 5 रजिस्ट्री पंजीकृत हो चुकी है। 1383/4 की भी रजिस्ट्री हो चुकी है। जिसकी तरमीम नहीं हुई है। कुल जमीन 44 बीघा थी, जो मोहनलाल शर्मा के नाम थी, जिसमें से 30 बीघा 4 बिस्वा विक्रय कर दी गई है। बाकी 13 बीघा 01 बिस्वा भूमि बची है। यदि विक्रय की गई जमीन वालो ने अवैध कार्य किया है तो उनको नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। और वही जिम्मेदार है। हमारा ख.न. अलग है। अप्रार्थी सं. 2 ता 3 ने जवाब पेशकर अवगत कराया कि 1383/2, 1383/3, 1383/4, 1383/7, 1383/8, 1383/9 में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है, ना ही कोई भूखण्ड बनाकर मुन्डेरा मारी है। उक्त खसरा नम्बर मौके पर खाली पड़े है। अप्रार्थी महेन्द्र, संजय व मदनमोहन ने अपना जवाब पेशकर निवेदन किया कि 1383/9 में कोई निर्माणकार्य नहीं हो रहा है बल्कि	

[signature]

मौके पर फसल कटाई चल रही है। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में लेण्डहोल्डर्स TDR करौली से वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार करौली द्वारा अपने पत्रांक 1572 दिनांक 29.4.2026 से मौका रिपोर्ट वर्तमान पेश की। जिसमे स्पष्ट किया गया कि उनवान आम जनता बनाम सरकार व अन्य मुकदमा नंबर 1/26 न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण ख.न. 1383/1 लगा. 1383/9 की जॉच करने पर उक्त ख. न. की भूमि मौके पर खाली पड़ी है समतलीकरण का कार्य पूर्व में होना पाया गया। किसी प्रकार की मुड्डी गडी होना उक्त ख. न. में नही पाया गया। मौके पर किसी प्रकार की मुड्डी गडी होना नही पाया गया। उपरोक्तानुसार अन्तिम बहस हेतु निर्धारित दिवस को उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान पक्षकारान खातेदारो द्वारा अपना पूर्व में पेश जवाब के तथ्यो को ही दोहराया गया व लिखित बहस भी पेश की गई। पैरोकार सरकार ने भी बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये वर्तमान में विवादित आराजी का कोई और कृषि उपयोग नही होना अवगत कराया। उपरोक्त समस्त तथ्यो, बहस, जवाब, पैरोकार सरकार का

[signature]

आम जनता vs सरकार व अन्य (6)
01/2021

जवाब व बहस के आधार पर इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। उभयपक्ष जवाब व बहस से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का वर्तमान में कोई गैर कृषि उपयोग नहीं हो रहा है तथा मौके पर कृषि कार्य ही किया जा रहा है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों, जवाब, बहस पैरोकार सरकार का जवाब व बहस के आधार पर उक्त प्रार्थना-पत्र को निस्तारित करते हुऐ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा TDR करौली को निर्देशित किया जाता है कि समस्त खातेदारों को बिना किसी संपरिवर्तन कराये गैर कृषि कार्य हेतु पाबंद करे। पत्रावली इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)